कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, बिजनौर।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4 (1)(बी) के अन्तर्गत बनाये गये मैनुअल की सूचना

मैनुअल की संख्या	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत मैनुअल का विवरण	सूचना
1	2	3
(i)	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्त्तव्य–	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में जिला निर्वाचन कार्यालय, बिजनौर द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, मतदेय स्थलों के सम्भाजन तथा लोक सभा/ विधान सभा/ विधान परिषद के सामान्य निर्वाचनों व उपनिर्वाचनों से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करता है।
(ii)	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य–	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ में निर्वाचन सम्बन्धी सभी शक्तियां निहित हैं। भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा समय–समय पर प्रदत्त निर्देशों के अनुसार ही जिला निर्वाचन कार्यालय, बिजनौर द्वारा कार्यों का अनुश्रवण किया जाता है।
(iii)	निर्णय लेने में अपनायी जाने वाली प्रकिया जिसके अन्तर्गत पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही के स्रोत भी सम्मिलित है–	भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रख्यापित अधिनियमों/नियमों तथा अनुदेशों के अन्तर्गत ही जनपद स्तर पर कार्यवाही की जाती है। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी नामित हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारियों के द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापों/ कार्यो का सम्पादन नियत अवधि में किया जाता है।
(iv)	कृत्यो के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान–	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य आवंटित किया जाता है। अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी आवंटित कार्य को समयबद्व रूप से निस्तारित करते हैं।
(v)	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा बनाये गये नियम, अनुदेश एवं निर्देशिका का अनुपालन किया जाता है। जिला निर्वाचन कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित नियम, विनियम, अनुदेश आदि लागू होते हैं।
(vi)	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण–	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन विधि निर्देशिका, निर्वाचनों के संचालन हेतु निर्देशों का सार–संग्रह, सम्बन्धित निर्वाचन अधिकांरियों हेतु हैण्डबुक्स आदि एवं समय–समय पर प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों आदि, का विवरण भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट ***www.eci.nic.in*** एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की वेबसाईट ***www.ceouttarpradesh.nic.in*** पर उपलब्ध है।

<table>
<tr><th>मैनुअल की संख्या</th><th>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत मैनुअल का विवरण</th><th>सूचना</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>(vii)</td><td>किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या नीति उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं</td><td>भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशों के अन्तर्गत निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों में जन साधारण का सहयोग/ परामर्श लिये जाने का प्राविधान है।
अतः भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली व मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली समस्त प्रकार की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियाँ, मतदाता फोटो पहचान–पत्र तथा निर्वाचनों के कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता हैं और इसमें जन प्रतिनिधियों/राजनैतिक दलों एवं जनसामान्य का सहयोग लिया जाता है।</td></tr>
<tr><td>(viii)</td><td>ऐसे बोर्डो परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण–</td><td>– शून्य –</td></tr>
<tr><td>(ix)</td><td>अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका</td><td>जिला निर्वाचन कार्यालय, बिजनौर में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की निर्देशिका :–
<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>नाम</th><th>पदनाम</th><th>दूरभाष कार्यालय</th></tr>
<tr><td>1</td><td>श्री प्रमोद कुमार</td><td>सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी</td><td>01342–262024</td></tr>
<tr><td>2</td><td>श्री देवेन्द्र सिंह</td><td>वरिष्ठ सहायक</td><td>01342–262024</td></tr>
<tr><td>3</td><td>श्रीमति निशा कुमारी</td><td>वरिष्ठ सहायक</td><td>01342–262024</td></tr>
<tr><td>4</td><td>कु0 सुरेश कुमारी</td><td>वरिष्ठ सहायक</td><td>01342–262024</td></tr>
<tr><td>5</td><td>श्री प्रशान्त वर्मा</td><td>कनिष्ठ सहायक</td><td>01342–262024</td></tr>
<tr><td>6</td><td>श्री गजेन्द्र सिंह</td><td>चपरासी</td><td>01342–262024</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(x)</td><td>प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों के यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो</td><td>जिला निर्वाचन कार्यालय, बिजनौर में कार्यरत नियमित अधिकारी/ कर्मचारियों को प्राप्त मासिक पारिश्रमिक/ वेतन का विवरण निम्न प्रकार है :–
<table>
<tr><th>अधिकारी/ कर्मचारी का नाम व पद</th><th>Pay Matrix Level</th><th>Basic Pay</th></tr>
<tr><td>1– श्री प्रमोद कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी</td><td>Level-6</td><td>53600.00</td></tr>
<tr><td>2– श्री देवेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक</td><td>Level-7</td><td>53600.00</td></tr>
<tr><td>3– श्रीमति निशा कुमारी, वरिष्ठ सहायक</td><td>Level-7</td><td>53600.00</td></tr>
<tr><td>4– कु0 सुरेश कुमारी, वरिष्ठ सहायक</td><td>Level-6</td><td>43600.00</td></tr>
<tr><td>5– श्री प्रशान्त वर्मा, कनिष्ठ सहायक</td><td>Level-3</td><td>24500.00</td></tr>
<tr><td>6– श्री गजेन्द्र सिंह, चपरासी</td><td>Level-4</td><td>32300.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(xi)</td><td>सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट</td><td>निर्वाचक नामावलियों की तैयारी तथा उनकी छपाई, मतदाता फोटो पहचान–पत्र और समय–समय पर सम्पादित होने वाले सामान्य निर्वाचनों/ उपनिर्वाचनों से सम्बन्धित व्यय बीजकों के भुगतान हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा बजट उपलब्ध कराया जाता है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>मैनुअल की संख्या</th><th>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत मैनुअल का विवरण</th><th>सूचना</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>(xii)</td><td>सहायिकी कार्यकमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यकमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं –</td><td>इस विभाग द्वारा किसी भी प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों का कार्यान्वयन नहीं किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>(xiii)</td><td>अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्रतिकर्ताओं की विशिष्टियां–</td><td>– शून्य –</td></tr>
<tr><td>(xiv)</td><td>किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों</td><td>भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की वेबसाईट www.eci.nic.in तथा कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ की वेबसाईट www.ceouttarpardesh.nic.in पर ईलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचनायें उपलब्ध हैं।</td></tr>
<tr><td>(xv)</td><td>सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं</td><td>कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, बिजनौर का सभाकक्ष (सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी /जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक)</td></tr>
<tr><td>(xvi)</td><td>लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां–</td><td><u>लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व अन्य विशिष्टियों का विवरण निम्न प्रकार है–</u>
<table>
<tr><th>विभाग/ कार्यालय का नाम</th><th>प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम व पता</th><th>दूरभाष कार्यालय</th><th>जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व पता</th><th>दूरभाष कार्यालय</th></tr>
<tr><td>जिला निर्वाचन कार्यालय, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, बिजनौर</td><td>श्री जगत राज, जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी, बिजनौर।</td><td>01342–262024</td><td>श्री प्रमोद कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, बिजनौर</td><td>01342–262024</td></tr>
<tr><td colspan="5"><u>राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय का पता–</u>
उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग
7/7ए, आर0टी0आई0 भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।</td></tr>
</table>
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी / जन सूचना अधिकारी को संदेय समुचित प्राप्ति के बदले नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा आवेदन शुल्क संलग्न कर, वाँछित सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करने हेतु पत्राचार/ सम्पर्क द्वारा किया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>(xvii)</td><td>ऐसी अन्य सूचनाऐं जो विहित की जायें।</td><td>भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा ऐसी अन्य सूचनाओं के विहित किये जाने के उपरान्त उसे यथासमय जनपद स्तर पर अपडेट किया जाता है।</td></tr>
</table>

28/09/2017

उप–जिला निर्वाचन अधिकारी,
बिजनौर।